'राज्य सरकार द्वारा जमीन सौंपने में आगे-पीछे करना, अस्थिर सुस्त प्रतिक्रिया और धीमी गति के कारण कोटा हवाई अड्डे के विकास की प्रक्रिया में देरी हुई है। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री गहलोत जी को राज्य में कोटा हवाईअड्डे या नागरिक उड्डयन के विकास में सबसे कम दिलचस्पी है।' — ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागर विमानन मंत्री

संक्षिप्त खबरें

बैनर फटने पर युवक पर हमला, हत्या का प्रयास

देहरादून। कॉलेज का बैनर फटने के मामूली से विवाद में कुछ युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या का प्रयास किया। मामले में ग्राम विवडा खुर्द नौगांव सादात अमरोहा के रहने वाले देवेंद्र सिंह ने रायपुर पुलिस को शिकायत दी है। देवेन्द्र सिंह ने पुलिस को बताया कि 11 सितम्बर को शाम करीब छह बजे उनका बेटा भास्कर पाल रायपुर स्टेडियम की ओर जा रहा था, जहां पहले से ही शगुन और उसके दोस्त खड़े हुए थे। जहां पर सड़क किनारे कालेज का बैनर लगा हुआ था जो कि गलती से फट गया। इस पर उनके बेटे ने माफी भी मांग ली थी। इस बात को लेकर शगुन और उसके दोस्तों ने उनके बेटे भास्कर पाल के साथ मार पिटाई शुरू कर दी। भास्कर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिसमें उसे गम्भीर चोट आई और उसके सर पर 30 से 35 टांके आए है। भास्कर की नाक की हड्डी भी टूट गई है। घायल युवक भास्कर के पिता देवेंद्र की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने शगुन और उसके साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया है।

अब तक 46 बदमाश गिरफ्तार

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड एसटीएफ ऐसे शातिर और ईनामी बदमाशों पर लगातार फोकस बनाए हुए है, जो कि पिछले कई साल से पुलिस की आंखों मे धूल झोंककर फरार चल रहे है। अभियान में अब तक 46 ईनामी बदमाशो की गिरप्तारी की जा चुकी है, जिनमें से एक लाख रुपये की रकम के चार, 50 हजार के पांच, 25 हजार के 19, 15 हजार के चार, 10 हजार के 11 और पांच हजार के तीन ईनामी बदमाश शामिल है।

घर नोटिस चस्पा किया

देहरादून। थाना नेहरू कॉलोनी पर दर्ज अपहरण के मामले में फरार वांछित सूरज निवासी संतोष नगर मोहकमपुर जोगीवाला के घर पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने फरारी और कुर्की का नोटिस चस्पा किया।

राजधानी में डेंगू हुआ 'बेकाबू'

शनिवार को दून सहित आठ जिलों में 97 लोगों को लगा डेंगू का डंक

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

डेंगू का कहर दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। देहरादून व आसपास के मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी डेंगू की बीमारी फैलाने वाला एडीज मच्छर तेजी से पैर पसार रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक वातावरण में पारा का स्तर नीचे नहीं लुढ़क जाता है तब तक एडीज मच्छर की सक्रियता बनी रह सकती है। यानी आने वाले दिनों में भी डेंगू का कहर जारी रहेगा।

इधर, शनिवार को प्रदेश के आठ जिलों में 97 और लोगों को डेंगू का डंक लगा है। सबसे अधिक 29 लोग हरिद्वार जनपद में डेंगू पीड़ित मिले हैं। इसके अलावा नैनीताल व पौड़ी में 19-19, देहरादून में 15, चंपावत में छह, ऊधमसिंहनगर में पांच, चमोली में तीन और अल्मोड़ा में एक व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई है। अच्छी बात यह कि पिछले तीन दिनों की तरह आज भी डेंगू से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है।

इस सीजन में प्रदेश में अभी तक डेंगू के 1544 मामले मिल चुके हैं। इनमें 1115 लोग स्वस्थ्य हो चुके हैं। वर्तमान में डेंगू के 415 एक्टिव केस हैं। वहीं डेंगू से अभी तक 14 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा तेरह मौतें देहरादून में और एक मरीज की मौत नैनीताल जनपद में हुई है। बात अगर जनपदवार करें तो देहरादून डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित है।

इस सीजन में यहां पर अभी तक डेंगू के 771 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू के बढ़ते ग्राफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। डेंगू मरीजों को भर्ती करने के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड फुल हैं, जिस कारण नए मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कुछ अस्पतालों में स्थिति यह कि तीमारदारों के लिए रखे गए बैंच पर ही लिटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं ब्लड बैंकों में भी खून व प्लेटलेट्स की कमीं बरकरार है।

मरीजों के तीमारदार प्लेटलेट्स के लिए इधर-उधर चक्कर काटने को मजबूर हैं। यह बात अलग है कि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स उपलब्ध होने के हवाई दावे कर रहा है। सबसे बड़ी परेशानी उन मरीजों को उठानी पड़ रही हैं,जिन्हें जंबो की जरूरत पड़ रही है। देहरादून की तरह हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर जिले में भी डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरिद्वार में अभी तक डेंगू के 283 व नैनीताल में 240 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। पौड़ी, चमोली व रुद्रप्रयाग में भी हर अंतराल बाद डेंगू के मामले मिलने का क्रम जारी है। बहरहाल, डेंगू का कहर फिलहाल थमने वाला नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में परे शानियां और बढ़ सकती है।

- इस सीजन में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 15 सौ पार, अब तक 14 की मौत
- मच्छर की सक्रियता केआगे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के दावे बौने

लापरवाह प्रतिष्ठानों पर एक लाख 38 हजार का जुर्माना

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

- स्वच्छता के प्रति लापरवाह और मच्छर का लार्वा पनपने वालों के विरुद्ध नगर निगम का अभियान
- शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में चलाया गया अभियान

स्वच्छता के प्रति लापरवाह और मच्छर का लार्वा पनपने के लिए जिम्मेदार कांपलेक्सों, मॉल व टावरों के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी है। इनसे अब तक एक लाख 38 हजार 500 रुपए का चालान वसूला जा चुका है। सेंटेरियो मॉल, अशोक एसोसिएट, जनपथ शापिंग कांपलेक्स सहित कई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर नगर निगम कार्रवाई कर चुका है।

नगर आयुक्त मनुज गोयल के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शनिवार को भी घंटाघर से वल्लूपुर चौक, चकराता रोड आदि जगह अभियान चलाकर बेसमेंट युक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल व टावरों का निरीक्षण किया। इन स्थानों पर डेंगू मच्छर का लार्वा मिला उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई साथ ही लार्वा को मौके पर ही नष्ट किया गया। जनपथ शापिंग कांपलेक्स के सभी दुकानदारों के पांच-पांच हजार का चालान काटा गया। इसके अलावा फर्स्ट पैराडाइज टावर पर 20 हजार रुपए, सुरेश कुमार के पार्किंग बेसमेंट पर पांच हजार रुपए, हर्ष आनंद डब्ल्यू टावर शोरूम पर पांच हजार रुपए, प्रवीन कौशल पर दो हजार रुपए और अशोक एसोसिएशन पर 50 हजार रुपए का चालान काटा गया। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा.अविनाश खन्ना के नेतृत्व में टीम ने हाथीबड़कला क्षेत्र में अभियान चलाया। सेंटेरियो मॉल का निरीक्षण करने पर देखा गया कि छत पर पानी जमा हो रहा है और उस पर भारी संख्या में मच्छर का लार्वा पनप रखा है। इस पर मॉल पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, नगर आयुक्त मनुज गोयल ने विभिन्न वार्डों में पहुंचकर नाला-नालियों की सफाई का मुवायना किया। डेंगू रोकथाम के लिए किए जा रहे फागिंग व लार्वा नाशक दवा छिड़काव का फीडबैक भी उन्होंने लिया।

पोस्टर से दिया मरीजों के अधिकारों और दायित्वों का संदेश

देहरादून(एसएनबी)। श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में शनिवार को पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने पोस्टर के जरिए मरीजों के अधिकारों और दायित्वों का संदेश दिया। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने देशभर के मेडिकल कालेजों के माध्यम से जन-जागरूकता का विशेष अभियान शुरू किया हुआ है। इसी कड़ी में श्री महंत अस्पताल में भी पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें 28 पोस्टर प्रस्तुत किए गए। इससे पहले मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा.आरके वर्मा, उप प्राचार्य डा. पुनीत ओहरी, डा.उत्कर्ष शर्मा, डा.ललित कुमार वार्ष्णेय आदि थे।

फर्जी आईडी पर लोन करवाने वाला गिरफ्तार

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

- आरोपित से चार वाहन और कई फर्जी पहचान-पत्र बरामद
- टिहरी से आरोपित पर पांच हजार का ईनामी है घोषित

फर्जी आईडी पर विभिन्न बैंकों से लोन लेने और वाहन, मोबाइल फाइनेंस कराने वाले नटवरलाल को डोईवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

डोईवाला पुलिस को थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक दिखी, जिसकी आगे की नम्बर प्लेट टूटी हुई थी। संदिग्ध लगने पर वाहन चालक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम आदित्य जोशी निवासी अठूरवाला जॉलीग्रांट डोईवाला बताया। बाइक के रजिस्ट्रेशन नम्बर को ऑनलाइन चेक करने पर वाहन के इंजन व चेसिस संख्या में भिन्नता मिली। इसके बारे में पूछताछ करने पर चालक ने बताया कि उसने मोबाइल एप से एक वाहन के नम्बर की जानकारी कर उस नंबर की नम्बर प्लेट बनाकर अपनी बाइक पर लगाई है।

इस पर उसे चौकी लाकर उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका असली नाम ललित दुग्ताल निवासी धारचूला पिथौरागढ़ है। अधिकांश लोग उसे आदित्य के नाम से भी जानते है। उसने फर्जी आईडी बनाकर अलग-अलग बैंकों से लोन लेकर बाइक, स्कूटी व कई महंगे मोबाइल खरीदे है। इन्हें वह बाद में सस्ते दामों पर दूसरे लोगों को बेच देता है। आज भी वह बरामद बाइक किसी को बेचने जा रहा था।

बरामद बाइक के बारे में जानकारी करने पर आरोपित ने बताया कि यह बाइक भी उसने रक्षित द्विवेदी निवासी बामनगांव तहसील मुनस्यारी पिथौरागढ़ के नाम से फर्जी आईडी बनाकर बैंक से लोन निकाल कर ली है।

आईडी पर लगी है आरोपित की फोटो

आरोपित के पास से बरामद बैग की तलाशी लेने पर उसमें से एक कीमती फोन, एक हार्ड डिस्क, अलग-अलग नामों से विभिन्न आईडी (जिन पर अधिकांश आईडी पर आरोपित की एक ही फोटो लगी हुई थी) बरामद हुई। पूछताछ में आरोपित ने टिहरी गढ़वाल व देहरादून से फर्जी पासपोर्ट, असम से फर्जी पैन कार्ड बनवाना और गोवा में फर्जी तरीके से किसी अन्य नाम से होटल मैनेजमेन्ट का कोर्स करना बताया। आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने फर्जी आईडी पर फाइनेंस कराई गई कार और तीन बाइक बरामद की है। उसके पास से आदित्य सिंह, आदित्य उपाध्याय, यशवंत सिंह, ललित जोशी, रक्षित द्विवेदी के नाम के दस आधार कार्ड, तीन पैन कार्ड, एक पासपोर्ट, एक वोटर आईडी कार्ड, चार ड्राइविंग लाइसेन्स, दो एटीएम कार्ड और चार मार्कशीट भी बरामद हुई है।

उसने पूर्व में भी फर्जी आईडी पर टिहरी गढ़वाल और देहरादून से कई वाहन (कार व बाइक) और मोबाइल फोन फाइनेंस कराए थे, जिन्हें उसने लोगों को सस्ते में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

फर्जी आधार कार्ड व पहचान पत्रों के जरिए आरोपित ने विभिन्न बैंकों से लोन लेकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है। दून पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अच्छा वर्कआउट किया है। ऐसे सभी लोगों जो आर्थिक अपराधों को बढ़ावा देते हुए लोगोंको आर्थिक हानि पहुंचा रहे है, ऐसे सभी को चिह्नित कर जल्द ही पुलिस के शिकंजे में लिया जाएगा।

अजय सिंह,एसएसपी देहरादून।

धोखे से बेची 75 हजार की शराब

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

- रायपुर पुलिस ने आरोपित को नामजद किया

सहस्त्रधारा रोड स्थित एक होटल के बार टेंडर ने धोखे से शराब बेचते हुए 75 हजार रुपए की शराब का गबन कर दिया। होटल के महाप्रबंधन की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने आरोपित को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मामले में सहस्त्रधारा रोड स्थित होटल कर्म्फट इन के महाप्रबंधक गगन बहादुर गुरूंग ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि कमलदेव सेमवाल निवासी मालगढी थाना कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल (वर्तमान पता रक्षा विहार निकट दून वर्ल्ड स्कूल रायपुर रोड) उनके होटल मे बार टेंडर के पद पर बीते वर्ष अगस्त माह से कार्यरत था। 25 जुलाई 2023 से वह प्रबन्धन को सूचित किए बिना छुट्टी पर चला गया और कई दिनों तक उसने कोई संपर्क नहीं किया। उसकी अनुपस्थिति पर होटल प्रबंधन को शक हुआ तब उसके सहायक और अन्य स्टाफ के साथ मिलकर बार का स्टाक चेक किया तो शराब के स्टाक में कमी पाई गई।

अनुमान लगाने पर लगभग 75 हजार रुपए के मूल्य का स्टाक कम पाया गया। स्टाफ ने कमलदेव के निवास पर जाकर पूछा तो उसके मकान मालिक ने बताया कि वह कई दिनों से अपने कमरे में नहीं आया है। उससे फोन पर सम्पर्क करके उससे बात की गई तो उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सारे नुकसान की भरपाई करने की बात कही। उसने पहली किस्त के रूप में 30 हजार रुपए देने का वायदा किया, लेकिन आज तक उसने कोई रकम नहीं दी है।

महाप्रबंधन की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने आरोपित बार टेंडर कमलदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि.
E-Mail:gmvnengg@gmail.com, Ph.:0135-2746817, 2749308, Fax No. 0135-2748479, 2742171

पत्रांकः 449/ई.अनु.(नौ)-निविदा — दिनांक 15.09.2023

निविदा सूचना

प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि., 74/1 राजपुर रेाड, देहरादून की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्र.सं. 1 से 3 के कार्यों हेतु सम्बन्धित जनपद में भवन निर्माण कार्य हेतु समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में डी एवं उच्चतर श्रेणी में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों तथा क्र.सं. 4 एवं 5 के कार्यों हेतु क-श्रेणी में पंजीकृत विद्युत लाईसेन्स धारी फर्मों/ठेकेदारों से मुहर बन्द निविदायें दिनांक 30.09.2023 को अपराहन 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराहन 3.30 बजे निविदा समिति द्वारा निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी। निविदा प्राप्त करने/खोले जाने की तिथि में अवकाश घोषित होने पर अगले कार्यदिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी। निविदा हेतु धरोहर राशि महाप्रबन्धक (निर्माण) के पक्ष में एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में बन्धक होनी चाहिए। निविदा की वैधता 3 माह होगी। निविदा प्रपत्र, निविदा खोले जाने की तिथि से एक दिन पूर्व तक प्रत्येक कार्य दिवस में निगम कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी.) अतिरिक्त	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	जनपद चमोली स्थित गोपेश्वर गैस सर्विस के गैस गोदाम की मरम्मत, सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण एवं मलबे की सफाई का कार्य।	33000.00	1500.00+GST	4 माह
2.	जनपद उत्तरकाशी स्थित पुरोला गैस सर्विस के गोदाम में क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवॉल एवं शोरूम में मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	12000.00	1000.00+GST	2 माह
3.	जनपद रूद्रप्रयाग में श्रीकेदारनाथ धाम पैदल यात्रामार्ग पर अवस्थित पर्यटक आवास गृह भीमवली में प्रीफैबीकेटैड हटस की मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य।	30000.00	1500.00+GST	2 माह
4.	मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1069/2021 विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत नन्दादेवी राजजात स्थल पंचायती चौक बाण का सौन्दर्यीकरण कार्य के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य।	5000.00	500.00+GST	2 माह
5.	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला हेतु मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1796/2021 पुरोला के अन्तर्गत विकासखण्ड मोरी के ग्राम पंचायत सरास में जागामाता मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं मन्दिर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य के अन्तर्गत विद्युतीकरण एवं सोलर लाईट का कार्य।	14000.00	1000.00+GST	4 माह

उपरोक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (निर्माण)

JM FINANCIAL
जेएम फाइनैंशियल असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट पहचान सं. : U67190MH2007PLC74287
पंजी. कार्यालय : 7वां तल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई–400 025
सम्पर्क व्यक्ति : 1. रमेश कुमार – 9991613002, 2. विशाल केटले – 9584966653, 3. ज्योति सावंत – 022–6224 1676

ई–नीलामी बिक्री सूचना – नई बिक्री

कि पीरामल कैपिटल ऐंड हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः दीवान हाउसिंग ऐंड फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) ने एक ऋण समूह (निम्नलिखित ऋणों सहित) का समनुदेशन उनके संबंध में सृजित अधोवर्णित प्रतिभूति हित सहित तथा उन पर सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित सहित, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी ऐक्ट") की धारा 5(1)(बी) के तहत एक समनुदेशन अनुबंध दिनांकित 29 मार्च, 2023 ("समनुदेशन अनुबंध") के माध्यम से जेएमएफएआरसी – अरण्य – ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत जेएमएफएआरसी (जेएम) (इसमें आगे समनुदेशिती के रूप में संदर्भित) के पक्ष में कर दिया है। यह अधिसूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल समनुदेशन/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी प्रचालनात्मक और प्रक्रियाओं प्रक्रमों को सुकर बनाने के लिए सेवा प्रदाता/समाहर्ता अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत और नियुक्त है।

प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर्जदार/रों से बकाया राशि की वसूली के लिए **सरफासी ऐक्ट, 2002** के तहत यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लिए जाने के पश्चात, अधोहस्ताक्षरी यहां नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो भौतिक कब्जा में है, **"जैसी है जहां है आधार", "जैसी है जो है आधार"** और **"जो भी है वहां है आधार"** पर क्रय करने हेतु ऑफर्स यहां नीचे दिए विवरण के अनुसार आमंत्रित करते हैं :

ऋण कोड/शाखा/कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर	मांग सूचना तिथि और राशि	सम्पत्ति पता–अंतिम	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (आरपी की 10 %)	बकाया राशि (22–08–2023)
(ऋण कोड संख्या 09700003879, देहरादून (शाखा), शाइर हुसैन (कर्जदार), अंसमा बेगम (सह कर्जदार 1)	16–03–2018, रू. 45,06,420/– (रूपए पैंतालीस लाख छह हजार चार सौ बीस मात्र)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : खाता नंबर 89, खसरा नंबर 138/1, स्थित ग्राम दादूपुर गोविंदपुर, परगना रूड़की, हरिद्वार–249403, चौहद्दी – उत्तर : प्लॉट नंबर 55, दक्षिण : प्लॉट नंबर 53, पूरब : 20 फीट रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर 39 एवं 40	रू. 13,40,000/- (रू. तेरह लाख चालीस हजार मात्र)	रू. 1,34,000/- (रू. एक लाख चौंतीस हजार मात्र)	रू. 90,45,352/-, (रू. नब्बे लाख पैंतालीस हजार तीन सौ बावन मात्र)

ई–नीलामी की तिथि : 19–10–2023, पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 18–10–2023, अप. 4.00 बजे से पूर्व

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale या https://www.bankauction.in में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को सरफासी ऐक्ट के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस

उपरिवर्णित कर्जदार/गारंटर को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) सूचना में वर्णितानुसार राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व दिनांक तक उपार्जित ब्याज के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली कर्जदार/गारंटर से ब्याज व लागत के साथ की जाएगी।

तिथि : 17–09–2023 — हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : देहरादून — (अरण्य – ट्रस्ट)

फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी निगम की जमीन

देहरादून(एसएनबी)। डीएल रोड स्थित नगर निगम की सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर एक शख्स ने कई लोगों को बेच दिया। कर अधीक्षक की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने आरोपित तो नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है।मामले में नगर निगम के कर अधीक्षक (भूमि) राहुल कन्याल ने रायपुर पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि कंचन पासवान निवासी डांडा नूरीवाला ने कानूनगो तहसील सदर संजय सैनी को बयान दिया गया है कि फिरोज अली ने दो सौ गज जमीन सात लाख रुपये में बेची है। इसी तरह धर्मपाल सिंह निवासी डांडा नूरीवाला ने बयान दिया गया है कि फिरोज अली ने जमीन सात लाख रुपये में बेची है।हरबीर सिंह निवासी डांडा नूरीवाला ने भी बयान दिया गया है कि फिरोज अली ने 150 गज जमीन पांच लाख 80 हजार रुपये में बेची है। क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक नगर निगम की आख्यानुसार ग्राम डाडा लखौण्ड में डांडा नूरीवाला में फिरोज निवासी डाँडा लखौण्ड ने नगर निगम की जमीन को फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के जरिए खुर्द-बुर्द कर बेच दिया है।कर अधीक्षक राहुल कन्याल की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने आरोपित फिरोज को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

- कर अधीक्षक की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने आरोपित को नामजद किया

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि.
E-Mail:gmvnengg@gmail.com, Ph.:0135-2746817, 2740308

पत्रांकः 1207 — दिनांक 16.09.2023

भवन किराये/लीज पर लेने हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण

प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून की ओर से पूर्व में दिनांक 03.09.2023 को प्रकाशित विज्ञप्ति जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम 74/1 राजपुर रोड, देहरादून मुख्यालय भवन के प्रथम तल-4443.10 वर्गफीट, द्वितीय तल-1023.00 वर्गफीट तथा तृतीय तल-7817.57 वर्गफीट के पृथक-पृथक तल अथवा समस्त तलों को किराये/लीज पर लेने हेतु दरें प्राप्त करने हेतु प्रकाशित की गई थी, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 18.09.2023 निर्धारित थी को इच्छुक राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों बहुराष्ट्रीय कम्पनी, वाणिज्यक संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.10.2023 तक सायं 3.00 बजे तक बढ़ाया जाता है।

महाप्रबन्धक (प्रशासन)